

प्रेषक,

डा. आर.सी. श्रीवास्तव
विशेष सचिव, नगर विकास विभाग,
एवं निदेशक, अर्बन बेसिक सर्विसेज,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : 2 जुलाई, 1991

नगर विकास अनुभाग-7

विषय : नेहरू रोजगार योजना पात्रता हेतु आय सीमा का
पुनरीक्षण।

महोदय,

आप अवगत है कि केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित नेहरू रोजगार योजना का लाभ लेने हेतु गरीबी रेखा के नीचे ऐसे व्यक्ति पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय वर्ष 1984-85 के मूल्यों के आधार पर 7200/- से कम हो।

2. भारत सरकार ने उक्त आय सीमा को पुनरीक्षित कर (तत्सम्बन्धी पत्र दिनांक 7-6-91 की प्रतिलिपि संलग्न (वर्ष 1989-90 के के मूल्यों के आधार पर रु. 9950/- कर दिया है। अतः मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु. 9950/- तक प्रतिवर्ष हो, उक्त योजना से आच्छादित होंगे।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

आर.सी. श्रीवास्तव
विशेष सचिव एवं निदेशक

सं.-981ए(1)/9-7-19 एन.आर.वाई./91 तद्दिनांक-

1. प्रतिलिपि निदेशक, संस्थागत वित्त, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त सिटी बोर्ड/नगर पालिकाएं/टाउन एरिया/नोटीफाइड उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, प्राग नरायण रोड, उ.प्र., लखनऊ।

4. सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, बी-1/11, सेक्टर-ए, अलीगंज, लखनऊ।
6. नगर विकास अनुभाग-5
7. समस्त परियोजना निदेशक (डी.यू.डी.ए.)

आज्ञा से

(आर.सी. श्रीवास्तव)
विशेष सचिव एवं निदेशक।